

कार्यालय निदेशक सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा चण्डीगढ़।

आदेश क्रमांक 24/371-2003 S-I (1) दिनांक, चण्डीगढ़ 22.6.2004

हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम-2003 के नियम 33 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए सोमानी विद्या पीठ पब्लिक स्कूल, मसानी धारुहेड़ा (रिवाड़ी) को कक्षा 1 से 12वीं तक की सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त पर जारी किया जाता है कि विद्यालय स्थाई मान्यता आदेश क्रमांक 23/371-2003 S-I (1) दिनांक, 19.6.2004 में निहित शर्तों तथा समय-समय पर की जाने वाली इस विभाग की हिदायतों का पालन करता रहेगा। मान्यता वापिस लिए जाने की अवस्था में यह अनापत्ति प्रमाण पत्र भी वापस लिया समझा जाएगा। विद्यालय का कोड नं० 20/REW/+2 /C.B.S.E. /2004 है।

आर० बी० लांगायन
निदेशक सैकण्डरी शिक्षा, हरियाणा,
चण्डीगढ़।

पृष्ठाकन क्रमांक सम

दिनांक, चण्डीगढ़ 22/6/04

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रबन्ध समिति, श्रीमती लीलावती सोमानी ऐजुकेशन ट्रस्ट, रिवाड़ी।
2. सचिव केंद्रीय माध्यमिक विद्यालय बोर्ड, नई दिल्ली।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, झज्जर *Raman*
4. मास्टर फाईल।

For Smt. Lookswati Somany Education Trust

22/6/04
ओफीसर इन्चार्ज विद्यालय

कृते: निदेशक सैकण्डरी शिक्षा, हरियाणा,
चण्डीगढ़।

Chairman

For Gurukulam The School

Gurukulam The

Principal

Manager

D:\AOS1\mointoring cell\issued noc\somany vidhya peet public school.doc

For Smt. Lookswati Somany Education Trust

Chairman